महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : Estt-/006/5-1/2014/853

दिनांक : 21 /10/2020

परिपत्र

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों (नियमित/दूर शिक्षा माध्यमम) हेतु दिनांक 18.07.2018 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के आलोक में कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत अगले उच्च अकादमिक लेवल/चरण (स्टेज) में प्रोन्नयन हेतु अद्यतन आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पुस्तकालय के अकादमिक कर्मियों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं संदर्भित संशोधनों के आलोक में कैरियर उन्नति योजना के तहत अगले उच्च अकादमिक लेवल/चरण (स्टेज) में प्रोन्नयन हेतु आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समस्त आवेदक कृपया अपनी अर्हता की तिथि को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रपत्र में आवेदन भरकर अपेक्षित स्व–सत्यापित दस्तावेजों की दो प्रतियों सहित अपने विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/पुस्तकालयाध्यक्ष को यथाशीघ्र सौंपे।

ऐसे आवेदक, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के अधिसूचित होने की तिथि 18 जुलाई, 2018 के आलोक में स्वयं को अर्ह पाते है, नोट करें कि प्रोन्नयन हेतु उनके प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के बिंदु–6.4 के प्रावधानों के तहत विचारणीय होंगे।

ऐसे आवेदक, जो स्वयं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 की अधिसूचना जारी होने के पूर्व प्रोन्नयन के योग्य समझते हैं, और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं भरे हैं, वे कृपया उक्त विनियम के बिंदु–6.3 तथा 6.3–VII के अनुसरण में संबंधित विनियम, 2010 और उसके बाद में किए गए संशोधनों के आलोक में संबंधित प्रपत्र भरें। यह विकल्प विनियम, 2018 के जारी होने की तिथि 18.07.2018 से 03 वर्ष के अन्दर मान्य है। इस हेतु उक्त आशय की लिखित सहमति निर्धारित प्रपत्र में अवश्य दी जाये अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत आवेदन पर विचार किया जाएगा।

ध्यातव्य है कि PBAS प्रपत्र API Grading हेतु प्रतिवर्ष भरा जाना अपेक्षित है। समस्त सम्बंधित इसे भी सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

क़ादर नवाज़

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कार्यकारी कुलसचिव
21/10/2020

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रति कुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी।
4. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ
5. कुलसचिव कार्यालय
6. लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

परिशिष्ट-1

(संदर्भ – परिपत्र क्रमांक: Estt-/006/5-1/2014/853 दिनांक: 21/10/2020)

विश्वविद्यालय में कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत अगले उच्च अकादमिक लेवल/चरण (स्टेज) में प्रोन्नयन संबंधी समयबद्ध एवं सुनिश्चित कार्रवाई हेतु निम्नांकित व्यवस्था लागू की जाती है :

1. प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दो बार अर्थात् छमाही अवधि के अंतराल में समस्त आवेदनों पर विचार अवश्य हो। इसके आलोक में **कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत प्रोन्नति हेतु वांछनीय अर्हता पूर्ण करने वाले** प्रत्येक आवेदक को निर्धारित आवेदन में छमाही (15 मार्च तथा 15 सितंबर तक) पद्धति के अनुसार अपना पूर्ण आवेदन (निर्दिष्ट पीबीएएस/एपीएआर प्रारूप में वर्षवार भरी गई जानकारी की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित) संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यालय में भरकर देना आवश्यक होगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 के अनुसरण में आवेदक अर्हता पूरी करने पर निर्धारित तिथि से 03 माह पूर्व तक आवेदन कर सकता है। प्राप्त आवेदनों पर अप्रैल से जून तथा अक्तूबर से दिसंबर माह में समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
2. विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक द्वारा आवेदन में उल्लिखित विवरण की संबंधित प्रावधानों तथा विभागीय रिकार्ड के अनुसार जाँचकर प्रोन्नयन हेतु संस्तुति की जाएगी तथा उसे प्रति वर्ष 10 अप्रैल/10 अक्तूबर तक संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता को भेजा जाएगा।
3. संबंधित अधिष्ठाता द्वारा आवेदन का भलीभांति परीक्षण किया जाएगा तथा किसी विवरण की अस्पष्टता की स्थिति में अथवा विनियम में दिए गए अन्य मानदंडों को पूरा करने में अभ्यर्थी की कठिनाइयों को कम/दूर करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक के समन्वय से उसका निवारण किया जाएगा और इसे कुलसचिव को आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर अग्रेषित किया जाएगा।
4. कुलसचिव द्वारा आवेदन को प्रारंभिक जाँच समिति के पास भेजा जाएगा, जो आवेदन प्राप्ति के यथासंभव 15 दिनों के अन्दर समीक्षा कर अपनी संस्तुति कुलसचिव को भेजेगी।

क़ादर नवाज़

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कार्यकारी कुलसचिव
21/10/2020